



सूचना का
अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड- 492002

क्रमांक एफ 1-1/2011/1-सूअप्र,
प्रति,

रायपुर, दिनांक 03/06/2013

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त संभागायुक्त/विभागाध्यक्ष/कलेक्टर
छत्तीसगढ़

Sub :- Suo motu disclosure on official tours of Ministers and other official.

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्र.एफ 1-1/2011/1-सूअप्र, दि.12.10.2012.

—00—

उपर्युक्त विषयांतर्गत इस विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र का कृपया अवलोकन हो। उक्त परिपत्र में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 1/8/2012-आईआर, दिनांक 11.09.2012 की छायाप्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है।

2/ भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के उक्त कार्यालय ज्ञापन में माननीय मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रमण को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-4 के तहत स्व-प्रगटीकरण किये जाने हेतु उनके यात्राओं का विवरण 'इंटरनेट' पर अपलोड कराने का सुझाव दिया गया है।

3/ भारत सरकार के उपरोक्त सुझाव के संदर्भ में विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छ0ग0 नक्सल प्रभावित राज्य होने से राज्य के भीतर माननीय मंत्रीगणों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रमण की सूचनाओं का स्व-प्रेरणा से प्रगटीकरण करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं होगा, केवल अधिकारियों की विदेश भ्रमण की जानकारी का स्व-प्रगटीकरण किया जा सकता है।


(कमर अली)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग



पृ०क्र० एफ 1-1/2011/1-सूअप्र
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 03 /06/2013

1. श्री संदीप जैन, उपसचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/8/2012-आईआर, दिनांक 11.09.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर।
 3. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, महिला थाना के पास, रायपुर।
 4. समस्त संभागायुक्त।
 5. समस्त कलेक्टर।
 6. प्रशिक्षण संचालक, छ.ग.शासन, प्रशासन अकादमी, इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर।
 7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं वेबसाईट में अपलोड करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
 8. स्टॉक पंजी।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

10 JUN 2013

